बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल संभावित राशि 4298 लाख (बयालीस करोड़ अनठानवे लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल आच्छादित 8,57,12,067 लाभुकों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 457821.725 मे0टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है ।

2. बिहार राज्य में दिनांक 01.02.2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना है । इसके आलोक में संकल्प संख्या– 8226 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है।

3. पूर्व में संकल्प सं0–8832 दिनांक 22.11.2014 के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी योजना अन्तर्गत निम्नवत् दर स्वीकृत है :–

कुल खर्च प्रति क्वींटल	
1. परिवहन 2. हथालन 3. कार्मिक	– 38.40 रू0 – 7.77 रू.0
4. कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य सम्बद्ध उप मद	– 4.08रू0
5. भंडारण	– 0.40 रू0
6. आकस्मिकता	– 1.00 रू0
कुल योग	**– 51.65 रू0**

उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 को 01 अप्रैल, 2016 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत पूर्व से कम्प्यूटराईजेशन मद में भुगतेय राशि 4.08 रूपये प्रति क्वींटल दर का भुगतान End to end कम्प्यूटराईजेशन योजनातर्गत Supply Chain Management अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद से 50–50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना है।

4. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु कम्प्यूटराईज्ड SIO निर्गत करने, खाद्यान्न का मूल्य RTGS के माध्यम से जमा किये जाने, डोर स्टेप डिलेवरी के वाहनों में GPS एवं लोड सेल लगाये जाने इत्यादि तथा उक्त के अनुश्रवण एवं रख–रखाव एवं संबंधित अन्य मद में पूर्व से स्वीकृत 4.08 रू0 प्रति क्वींटल की दर से 4578217.25 क्वींटल खाद्यान्न के मासिक आवंटन के विरूद्व कुल 18679126 रू0 मासिक अर्थात 22.42 करोड़ (बाईस करोड़ बयालीस लाख) रू0 वार्षिक व्यय की संभावना है।

परन्तु वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा ससमय विपत्र समर्पित नहीं किये जाने एवं स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, 16 से फरवरी, 17 तक की बकाया राशि 186980190/– रू0 तथा माह मार्च,17 एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक कुल 13 महीनों में भारत सरकार द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न 4578217.25 क्वींटल को डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटराईजेशन मद में 4.08 रू0 प्रति क्वींटल की दर से कुल 4578217.25× 4.08× 13=242828643/–रूपये व्यय की संभावना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 429808833/–(बयालीस करोड़ अन्ठानवे लाख आठ हजार आठ सौ तैंतीस रूपये अर्थात् 4298 लाख (बयालीस करोड़ अनठानवे लाख) रूपये व्यय की संभावना है ।

5. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल संभावित राशि 4298 लाख (बयालीस करोड़ अनठानवे लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में राज्यांश की राशि के भुगतान में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456–सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00,लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, मांग संख्या–18 उपशीर्ष 0105–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण विपत्र–18. 3456001020105, विषय शीर्ष 0105.13.01 कार्यालय व्यय/0105.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां/ 0105.28.02 संविदा सेवाएँ में उपबंधित राशि से किया जाएगा एवं केन्द्रांश मद में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456–सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, मांग संख्या–18 उप शीर्ष 0407–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण विपत्र कोड–18.3456001020407, विषय शीर्ष 0407.13.01 कार्यालय व्यय/ 0407.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां/0407.28.02 संविदा सेवाएँ में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 30.01.2018 को मद संख्या–15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– प्र07–विविध–38/2016/30 टि0।

8. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 – 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 – 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 – 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38/2016 – 616 खाद्य–पटना/दिनांक– 05.02.18
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

5/2/2018
सरकार के सचिव ।